



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273045  
CG-DL-E-01062026-273045

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2676]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2676]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948

गृह मंत्रालय  
(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

का.आ. 2769(अ).— केन्द्रीय सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 49), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जांच किए रहे मामला संख्या RC-28/2023/NIA/DLI के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराधों के ट्रायल के लिए, बेंगलुरु के XLIX सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 11011/83/2023- एन.आई.ए.]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****(CTCR Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2026

**S.O. 2769(E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), the Central Government, with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Karnataka, hereby designates the XLIX Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City as Special Judge for trial of offences specified in Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, in connection with NIA case RC-28/2023/NIA/DLI, being investigated by National Investigation Agency.

[F. No. 11011/83/2023- NIA]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.